भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4136

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ के कारण जान-माल की हानि

4136. श्री राकेश राठौर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हर साल बाढ़ से होने वाली जान-मान की हानि का आकलन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के कई क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाली तबाही से निपटने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सीतापुर जिले की बिसवान, लहरपुर, महमूदाबाद, सेउता तहसीलें वर्षों से बाढ़ की विभीषिका झेल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए किसी स्थायी समाधान पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 2024 में 'बाढ़ क्षति सांख्यिकी संबंधी रिपोर्ट (1953-2022)' प्रकाशित की है। बाढ़ क्षति के वर्ष-वार और राज्य-वार आंकड़ों को दर्शाने वाली रिपोर्ट https://cwc.gov.in/sites/default/files/report-flood-damage-statistics.pdf पर देखी जा सकती है।

(ख): बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूर्ण करती है। भारत सरकार ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव निरोधक, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव निरोधक आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए XIवीं और XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया।

इसके अलावा, सीडब्ल्यूसी बाढ़ प्रबंधन के एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से चुने गए स्थानों पर संबंधित राज्य सरकारों को बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है।

(ग) से (ङ): उत्तर प्रदेश सहित देश प्रतिवर्ष अलग-अलग स्तर पर बाढ़ का सामना करता है। सीतापुर जिले में बाढ़ की स्थिति मुख्य रूप से शारदा और घाघरा नदियों से उत्पन्न होती है। नेपाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा के कारण इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे तटवर्ती गांवों में बाढ़ आ जाती है। वर्ष 2024 के मानसून में, घाघरा नदी में दिनांक 13.09.2024 को सर्वाधिक 4,19,272 क्यूसेक डिस्चार्ज उत्तराखंड के बनबसा बैराज से गुजरा, जिससे सीतापुर जिले के लहरपुर, बिसवां और महमूदाबाद तहसीलों में नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ आ गई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ से बचाव के लिए विभिन्न नदियों पर कुल 523 तटबंध बनाए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 3869 किमी है। सीतापुर जिले में, घाघरा नदी के दाहिने तट पर चहलारी घाट से गणेशपुर तक एक तटबंध बनाया गया है, जिसकी लम्बाई 54.6.00 किमी है।

*****